

महत्वपूर्ण निर्देश / फैक्स

संख्या—597 / 1-10-2016-33(34) / 2016टी0सी0-1

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊः दिनांक :: २३ मई, 2016

विषय:- अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीर्ष-2245 से धनराशि की मांग /आहरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में व्यय संबंधी अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्ष 2245 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष से आपदावार लेखाशीर्षक खोले गये हैं और धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है। आपदावार लेखाशीर्षक का विवरण इस प्रकार है:-

क्र०सं०	मद	लेखाशीर्ष
1	सूखा	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-01-सूखा राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
2	बाढ़	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
3	चकवात	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-03-चकवात राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
4	भूकम्प	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-04-भूकम्प राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
5	ओलावृष्टि	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-05-ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
6	बादल फटना	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-06-बादल फटने पर राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
7	अग्निकांड	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-07-अग्निकांड राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
8	शीतलहरी	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
9	राज्य सरकार झारा घोषित अन्य आपदा	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार झारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
10	स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय
11	सामान्य व्यय	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय

2— इसी प्रकार भारत सरकार को प्रेषित मेमोरेण्ड के सापेक्ष राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से प्राप्त धनराशि के व्यय के लिये राज्य सरकार द्वारा अलग लेखाशीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड—800—अन्य व्यय—05—नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—42 अन्य व्यय खोला गया है। प्रदेश सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार राज्य की ओर से किसानों को अतिरिक्त सहायता दिये जाने के लिये भी लेखाशीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड—800—अन्य व्यय—04—दैवी आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता—42 अन्य व्यय हेतु अलग लेखाशीर्ष खोला गया है।

3— उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न आपदाओं पर होने वाले व्यय का स्पष्ट वर्गीकरण किये जाने हेतु अनुदान संख्या—51 के अंतर्गत लेखाशीर्ष—2245 में विभिन्न लेखाशीर्ष खोले गये हैं ताकि सम्बन्धित आपदा हेतु किये गये व्यय की स्पष्ट सूचना उपलब्ध हो सके।

4— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

- (क) जिस आपदा के लिये जनपद स्तर पर धनराशि की आवश्यकता हो, उस आपदा तथा लेखाशीर्ष का उल्लेख करने के साथ ही उस मद में पूर्व में प्राप्त धनराशि के व्यय / टी0आर0—27 से आहरण की स्थिति दर्शाते हुये शासन से धनराशि की मांग की जाय ताकि शासन स्तर से उस लेखाशीर्ष से धनराशि स्वीकृत की जा सके।
- (ख) आपदाओं पर होने वाले ऐसे व्यय जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं आते हैं उन्हें सामान्य व्यय के अंतर्गत मानते हुये धनराशि स्वीकृत का प्रस्ताव प्रेषित किया जाये।
- (ग) भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.04.2015 में जिन मदों यथा—खोज एवं बचाव कार्य, राहत कार्य, पेयजल, नाव किराया आदि के लिये दरों का निर्धारण नहीं किया गया है, के लिये उसके वास्तविक व्यय का विवरण प्रस्तुत करते हुये अलग से धनराशि की मांग की जाय।

5— कृपया भारत सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।